

न्यायालय:-अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़।

सत्र परीक्षण संख्या 224/2014

स्टेट बनाम इन्द्रभान उर्फ इन्दू आदि

सत्र परीक्षण संख्या 225/2014

राज्य बनाम इन्द्रभान उर्फ इन्दू

दिनांक-08.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त हरिनाथ उर्फ रिमई यादव जिला कारागार से उपस्थित आया, शेष अभियुक्तगण की ओर से गैर हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो केवल आज की तिथि के लिए स्वीकृत किया जाता है। साक्षी पी०डब्ल्यू० 1 निरीक्षक विश्वनाथ यादव का मुख्य बयान व जिरह अंकित किया गया जो पूर्ण हुआ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा प्रार्थनापत्र 102 ख दिनांकित 08.07.2024 प्रस्तुत करते हुए सत्र परीक्षण संख्या 224/2014, मु०अ०सं० 22/2014, अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं०, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ व सत्र परीक्षण संख्या 225/2014, मु०अ०सं० 23/2014, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ एक ही घटना से सम्बंधित होने के कारण एक साथ समेकित किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र पर कोई विरोध नहीं किया गया है।

सुना तथा दोनों पत्रावलियों का अवलोकन किया।

पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सत्र परीक्षण संख्या 224/2014, मु०अ०सं० 22/2014, अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं०, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ व सत्र परीक्षण संख्या 225/2014, मु०अ०सं० 23/2014, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ एक ही घटना से उत्पन्न हुए हैं तथा तथा दोनों पत्रावलियाँ इसी न्यायालय में साक्ष्य के स्तर पर विचाराधीन हैं। दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही प्रकार की साक्ष्य से होना है। विचारण की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों ही पत्रावलियों को एक साथ समेकित कर उनका विचारण एक साथ किया जाना न्यायसंगत है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या 224/2014, मु०अ०सं० 22/2014, अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं०, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ व सत्र परीक्षण संख्या 225/2014, मु०अ०सं० 23/2014, अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ की पत्रावलियाँ एक साथ समेकित की जाती हैं, जिसमें अग्रणी पत्रावली के रूप में सत्र परीक्षण संख्या 224/2014 स्टेट बनाम इन्द्रभान उर्फ इन्दू आदि चलेगी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 22.07.2024 को पेश हो। आदेश की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 225/2014 में रखी जाये।

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01,
आजमगढ़।